मुरगांव पत्तन न्यास वित्त विभाग

संदर्भ स. एफए/सीए/पी.3/2020/295

दिनांक : **24**/07/2020

परिपत्र

विषय: जुलाई, 2020 से सितम्बर 2020 तक की अवधि के लिए डी. ए. की तिमाही संशोधित प्रतिशत.

मंत्रालय के पंत्र सं.29018/2/2016-पीई-1 दि. 05/02/2020, दि.30/08/2018 के समझौता ज्ञापन के अनुसरण में एआईसीपीआई तिमाही इन्डेक्स औसत 277, जिससे संशोधित वेतनमान संबंधित है, के आधर पर जुलाई, 2020 से सितम्बर 2020 तक प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को देय महंगाई भते की दर, निम्नवत है:-

In pursuance of Ministry's letters no. A-29018/2/2016-PE-I dated 05th February, 2020 and Memorandum of Settlement 30/08/2018, the rate of Dearness Allowance payable to the Class I, II, III & IV employees from July, 2020 to September, 2020 based on the increase/decrease in AICPI quarterly index average of 277 to which the revised scales of pay are related, is given here below:

श्रेणी	अवधि		त्रैमासिक औसत	डी.ए. के लिए गणना किए	100% न्यूट्रीलाईजेशन
Class	Period		प्वाइंट्स	जानेवाले प्वाइंट्सों की	डी.ए. की %
	From	То	Three monthly	कुलसंख्या	% of D.A. on 100%
			average points	Total No. of points to be counted for D.A	neutralization
प्रथम व द्वितीय श्रेणी अधिकारी Class I & II Officers	01/07/2020	30/09/2020	328	51	18.41 %
तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारि Class III & IV employees	01/07/2020	30/09/2020	328	51	18.41 %

2. डी.ए. की उपरोक्त दरें पेन्शनरों/परिवार पेन्शनरों को एआईसीपीआई 277 पर लागू होंगी | The above rates of D.A. are also applicable to pensioners/family pensioners on AICPI 277

3. यह अध्यक्ष के अनुमोदन से जारी किया जाता है। This issues with the approval of the Chairman.

वित्तिय सलाहकार व मुख्य लेखा अधिकारी

सेवा में,

<u>सभी विभागाध्यक्ष/ एमपीटी</u>
प्रतिलिपि:-

- 1) अध्यक्ष के पटल हेत्
- 2) उपाध्यक्ष के पटल हेत्
- 3) आरएपी/एमपीटी
- 4) सहायक निदेशक (ईडीपी)/एमपीटी
- 5) सूचना पटट्

सहायक प्रबंधक (ईडीपी) ... for website